

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत भवनों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

रजक शिड्डकी चैवल आताखीश अमोलाश

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 830 दिनांक 24/12/2020

भाषी अजय कुमार पुत्र श्री सुभाष चन्द पुगेहर

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2008 P. No = 146 ए वच्छेदक 41

द्वारा 194 (7) (ब) के तहत आवश्यक

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 23666/- जमा

जारी रसीद संख्या 2062/6411, 6412

दिनांक 24/12/2020 को जमा करा दी है ।

(Signature)

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर

Received
J.P.A.